



उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ-226005
Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005

पत्रांक: 1937 / एनआरएम / डब्ल्यूबीएसएलएएजी / पीएल / 2021

दिनांक: 22.01.2026

दिनांक : 22 जनवरी, 2026
समय : 12:00 बजे
स्थान : उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2025-26 की इक्कीसवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियाँ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2025-26 की इक्कीसवीं बैठक डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी, 2026 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पूर्व मौसम वैज्ञानिक; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर एवं मौसम वैज्ञानिक; आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान; पशुपालन विभाग; वन विभाग; कृषि विभाग; उद्यान विभाग; उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी तथा उपकार के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया।

उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के कीट वैज्ञानिक; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के दलहन एवं पशु चिकित्सा वैज्ञानिक; केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ; शुआट्स, प्रयागराज के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

प्रथम सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (23 से 29 जनवरी, 2026)

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के दौरान दो उत्तरोत्तर पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 23-24 जनवरी तथा 27-29 जनवरी के दौरान दो चरणों में प्रदेश के भाभर तराई, पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में सामान्य से अधिक तथा दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी, मध्य मैदानी, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने की जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

इस सप्ताह के दौरान दो उत्तरोत्तर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से आरंभिक चरण में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री से. की क्रमिक गिरावट के उपरान्त सप्ताह के मध्य में इतनी ही बढ़ोत्तरी के बाद सप्ताह के अंत में पुनः मामूली गिरावट की संभावना के दृष्टिगत प्रदेश के उत्तर-पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी, बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) अधिक; पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से (02 से 04 डिग्री से.) कम जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) कम रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर-तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री से.; पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री

से.; पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के शेष भाग एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री से.; भाभर-तराई क्षेत्र के शेष भाग, दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं मध्य मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री से.; बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यह 26 से 28 डिग्री से. जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 24 से 26 डिग्री से. रहने की संभावना है।

प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) कम रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई, पश्चिमी मैदानी, बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 06 से 08 डिग्री से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 08 से 10 डिग्री से. रहने की संभावना है।

द्वितीय सप्ताह का मौसम दृष्टिकोण (30 जनवरी से 05 फरवरी 2026)

इस सप्ताह के दौरान दो उत्तरोत्तर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से आरंभिक चरण में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री से. की क्रमिक बढ़ोत्तरी के उपरान्त सप्ताह के मध्य में इतनी ही गिरावट के बाद सप्ताह के अंत में पुनः 2-4 डिग्री से. की बढ़ोत्तरी की संभावना के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर-तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री से.; पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के शेष भाग, मध्य मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग, मध्य पश्चिमी मैदानी एवं दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री से.; बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यह 26 से 28 डिग्री से.; जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 24 से 26 डिग्री से. रहने की संभावना है।

प्रदेश के बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) कम जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर-तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग तथा बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 06 से 08 डिग्री से.; उत्तर-पूर्वी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 08 से 10 डिग्री से. रहने की संभावना है।

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा के अतिरिक्त कोई प्रभावी वर्षा होने की संभावना नहीं है।

मौसम चेतावनी

23 जनवरी को प्रदेश के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग में मेघगर्जन/वज्रपात एवं 30-50 किमी/घंटा की झोंकेदार हवाओं के साथ भाभर-तराई, पश्चिमी मैदानी, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- आगामी 48 घंटों (23 से 24 जनवरी) में वर्षा एवं तेज हवाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुये सिंचाई स्थगित रखें अन्यथा फसल गिर भी सकती है।
- जिन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नहीं है उन क्षेत्रों में कृषक गेहूँ की फसल की निगरानी करते हुये आवश्यकतानुसार खेतों में पर्याप्त नमी बनाये रखें।
- रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यक हो तो आगामी 48 घंटों के उपरांत ही कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों या कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह अनुसार करें।
- राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं में एफ0एम0डी0 का टीकाकरण 22.01.2026 से प्रत्येक जनपद के समस्त पशु चिकित्सालयों के माध्यम से टीकाकरण कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका लाभ कृषक/पशुपालक अपने जनपदीय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी या निकटस्थ पशुचिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर उठा सकते हैं।
- किसानों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय पशु चिकित्सक से सलाह लेकर अंतःपरजीवी दवाओं का प्रयोग करें।
- आम की बाग की जुताई-गुड़ाई व सफाई करें, गुजिया कीट के नियंत्रण के लिए लगायी गयी पालीथीन पट्टी को कपड़े से साफ कर देना चाहिए। यदि किसी कारण से गुजिया कीट की रोकथाम के लिए एल्काथीन पट्टी न लगायी जा सकी हो या क्लोरोपायसीफॉस धूल का बुरकाव न किया गया हो और गुजिया कीट पेड़ चढ़ गयी हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल 0.5 मिली0 प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति लीटर घोल की दर से स्टीकी के रूप में 1 प्रतिशत शैम्पू अथवा डिटर्जेंट मिलाकर छिड़काव करें।
- जिन खेतों में माहू दिखाई दे रहे है उनके नियंत्रण हेतु कृषक यलो स्टिकी ट्रैप को खेत में लगायें।

गेहूँ की खेती

- कल्ले निकलते समय गेहूँ की दूसरी सिंचाई तथा गाठें बनते समय तीसरी सिंचाई करें। वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई स्थगित रखें।
- गेहूँ की खड़ी फसल में यदि जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे तो जिंक सल्फेट का प्रयोग खड़ी फसल में संस्तुति अनुसार करें।
- गेहूँसा एवं जंगली जई आदि संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिये खरपतवारनाशी पिनोक्साडेन (एक्सिल 5 ई.सी.) 1.0 ली. को 500 लीटर पानी में घोलकर अथवा सल्फोसल्फयूरान 75 प्रतिशत डब्लू.जी. की 33 ग्राम (2.5 यूनिट) को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर अथवा आइसोप्रोट्यूरॉन 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 1.25 किलोग्राम प्रति हे. 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के 30-35 दिन बाद छिड़काव करें।
- चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिये मेटसल्फ्यूरॉन (एलग्रीप) 20 ग्रा. दवा को 500 ली. पानी में घोलकर अथवा कार्फेन्ट्राजोन (एफीनीटि) 50 ग्रा. दवा को 500 ली. पानी में घोलकर अथवा 2-4डी, सोडियम साल्ट 80 प्रतिशत की 625 ग्राम प्रति हे. अथवा 2-4डी मिथाइल एमाइन साल्ट 58 प्रतिशत एस.एल. की 1.25 लीटर प्रति हे. की मात्रा को लगभग 500 से 600 पानी में घोल बनाकर बुवाई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिये।
- संकरी एवं चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के एक साथ नियंत्रण हेतु पिनोक्साडेन (एक्सिल 5 ई.सी.) 1.0 ली+कार्फेन्ट्राजोन (एफीनीटि) 50 ग्रा. को 500 ली. पानी में घोलकर अथवा सल्फोसल्फयूरान 75 प्रतिशत+मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 प्रतिशत डब्लू.जी. 20 ग्राम 1250 मि.ली.

सर्फकटेंट प्रति हे. अथवा मेट्रीब्यूजिन 70 प्रतिशत डब्लू.पी. की 250 से 300 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हे. की दर से पलैटफैननॉजिल से प्रथम सिंचाई के बाद 25 से 30 दिन की अवस्था पर छिड़काव करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- राई/सरसों के प्रमुख कीट माहू तथा चित्रित बग के नियंत्रण हेतु ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 25 प्रतिशत ई.सी. 1.0 ली. प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. की 250 मि.ली. मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 600–700 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, सफेद गेरुई एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण हेतु मेटालेक्जिल 4 प्रतिशत+मैकोजेब 64 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 कि.ग्रा. मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।

दलहन की खेती

- चने की फसल में एक सिंचाई फूल आने से पूर्व करनी चाहिये। फूल आते समय सिंचाई कदापि न करें।
- दलहनी फसलों में सेमीलूपर कीट के नियंत्रण हेतु फिप्रोनिल 5 एस.सी. 500 मि.ली. का 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हे. की दर छिड़काव करें।
- चने में फलीबेधक कीट के नियंत्रण हेतु एनपीवी 2 प्रतिशत ए.एस. 200 से 250 एल.ई./हे. की दर से लगभग 250 से 300 ली. पानी में घोलकर प्रयोग करने से इसका प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। 2 छोटी अथवा 1 बड़ी सूड़ी प्रति 10 पौधा मिलने पर इसका रासायनिक नियंत्रण करें। इस हेतु एथियन 50 प्रतिशत ई.सी. की 1.2 ली. मात्रा प्रति हे. अथवा फ्लूबेडामाइड 39.35 प्रतिशत एस.सी. की 100 मि.ली. मात्रा प्रति हे. की दर से 500 से 600 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- चने के खेत में यदि कटुआ कीट दिखाई दे रहे हों तो स्थान-स्थान पर बर्ड पर्चर लगायें तथा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कई स्थानों पर घास-फूस रखें। प्रातःकाल फूस पर छिपे हुए कटुआ कीटों को इकट्ठा कर समाप्त करें तथा रासायनिक उपचार हेतु क्लोरपाईरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. की 1250 मि.ली. मात्रा को 500 से 600 पानी में घोल बनाकर प्रति हे. की दर से छिड़काव करें।
- मटर में फूल आने के समय अवश्य सिंचाई करें तथा पत्तियों, फलियों और तनों पर सफेद चूर्ण की तरह फैले बुकनी रोग (पाउडरी मिल्ड्यू) की रोकथाम के लिये घुलनशील गंधक 80 प्रतिशत 2 किग्रा. अथवा ट्राईडेमोफॉन 25 प्रतिशत डब्लू.पी. 250 ग्राम/हे.लगभग 500–600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- मटर में फली छेदक/फली बेधक कीट के प्रकोप होने पर नियंत्रण हेतु फूल एवं फलियां बनते समय 5 फरोमोन ट्रैप और 2 प्रकार प्रपंच प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगायें तथा नीम के बीज आर्क (5 प्रतिशत) प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।
- मटर में अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण हेतु मैकोजेब 75 डब्लू.पी. की 2 किग्रा. अथवा जिनेब 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2 किग्रा. अथवा कॉपर आक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत डब्लू.पी. की 3 किग्रा. मात्रा प्रति हे. लगभग 500–600 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- मसूर में गेरुई रोग के नियंत्रण हेतु मैकोजेब 75 डब्लू.पी. की 2 कि.ग्रा. अथवा प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत ई.सी. की 500 मि.ली. मात्रा प्रति हे. लगभग 500 से 600 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।

गन्ना की खेती

- बसन्तकालीन गन्ने की बुवाई हेतु नवीन उन्नत किस्मों यथा को.शा.-13235, को.लख.-14201, को.-15023, को.शा.-17231, को.शा.-18231, को.लख.-16202, को. शा.-14233 आदि की बुवाई हेतु बीज की व्यवस्था करें ताकि समय से बुवाई की जा सकें।
- लालसड़न रोग से संक्रमित किस्म को.-0238 की बुवाई न करें तथा पेड़ी भी न लें। ऐसे खेतों में पुनः गन्ने की बुवाई न करें।
- शरदकालीन बावग गन्ने की साथ ली जा रही अंतः फसल की कटाई/तुड़ाई/खुदाई के पश्चात् फसल अवशेष खेत में मिलाकर पंक्तियों के बीच के स्थान की जुताई कल्टीवेटर से कर दें।
- सिंगल बड/एस.टी.पी. विधि से नर्सरी 25 जनवरी से तैयार करें।
- चीनी मिल में आपूर्ति किये जा रहे बावग गन्ने की कटाई के पश्चात पेड़ी प्रबंधन अवश्य करें।
- जिन खेतों में जड़बेधक व प्ररोहबेधक कीट दिखाई दें उनमें संस्तुति अनुसार क्लोरपाईरीफॉस का प्रयोग करें।

सब्जियों की खेती

- ग्रीष्मकालीन सब्जियों की अगेती फसल हेतु नर्सरी डालें।
- आलू की फसल में झुलसा बीमारी के रोकथाम हेतु मैन्कोजेब/प्रोपीनेब/कार्बेन्डाजिम युक्त फफूंदनाशी 2 से 2.5 ग्रा./ली. पानी में घोलकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें। जिन खेतों में बीमारी का प्रकोप हो चुका है, उनमें किसी भी फफूंदनाशक-साईमोक्सेनिल 8 प्रतिशत अथवा मैन्कोजेब 64 प्रतिशत डब्लूपी का 2 से 2.5 ग्रा./ली. पानी में घोलकर 15-15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
- आलू में एफिड (माहू) कीट की रोकथाम हेतु नीम सीड कर्नेल स्ट्रैक्ट 5.0 ग्राम प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल 0.5 मिली/लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा आवश्यकतानुसार 8-10 दिन बाद द्वितीय छिड़काव करें।
- सब्जी मटर की फसल में वातारण में नमी एवं कोहरे के कारण डाउनी मिल्ड्यू एवं पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होने की सम्भावना रहती है तो प्रकोप की दशा में 25 से 30 किग्रा/हे० की दर से गंधक के चूर्ण का छिड़काव करें।
- टमाटर तथा मिर्च की फसल को झुलसा रोग से बचाव हेतु 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) की दर से मैन्कोजेब का छिड़काव करें।
- टमाटर में कीटों से बचाव हेतु ब्यूवेरिया वेसियाना (फफूंद) 3-5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर या नीम आधारित कीट नाशकों का प्रयोग करें।
- टमाटर की फलबेधक सूड़ी के नियंत्रण हेतु फ्लूबेन्डामाइड 2 मि.ली./ली. पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

बागवानी

- जनवरी माह में आम की पुरानी अनत्पादक बागों पर पुनरोद्धार अन्तर्गत विकार युक्त एवं घनी शाखाओं का कृन्तन कार्य करें तथा कृन्तित भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगायें।
- आम के अगेती बौर को खर्चा या दहिया रोग से बचाने हेतु घुलनशील गंधक के 0.2 प्रतिशत घोल (2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी) का प्रथम छिड़काव करें।
- आम के तना भेदक की रोकथाम के लिए लोहे के तार/हुक से प्रभावित छिद्रों से कीटों को यात्रिक रूप से हटाना चाहिए तथा छिद्रों को साफ करने के बाद क्योरपायरीफॉस 2.0 मिली/लीटर के घोल से रूई के फाहे को भिगो कर छिद्र में डाल कर छिद्र को मिट्टी के लेप से बन्द कर दें।

- केले की फसल में माहू की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल 0.5 मिली0 रसायन को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा आवश्यकतानुसार 8–10 दिन बाद द्वितीय छिड़काव करें।
- अमरुद एवं आम की फसल में उकटा रोग की रोकथाम हेतु थायोफिनेट मिथाइल के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव तथा 2.5 किग्रा0 ट्राईकोडर्मा को 70–80 किग्रा0 गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर 1–2 किग्रा0 प्रति थाला की दर से ड्रैचिंग करें।
- बेल के फलों की शीत ऋतु में चटकने और असमय गिरने से बचाने के लिए पेड़ों के जड़ क्षेत्र में सिंचाई करके नमी बनाये रखे। पेड़ के ऊपर फफूंदी नाशकों (कार्बेन्डाजिम + मैकोजेब 2 ग्राम या टेबुकोनाजोल 1 मिलीलीटर या प्रोपिनेब 1 मिलीलीटर या क्रसोसिम–मिथाइल + क्लोरोथालोनिल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी) और पोटैशियम सल्फेट 3–4 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार करें।
- आंवला की फसल में दीमक कीट से प्रभावित बाग में नियंत्रण हेतु ब्यूवेरिया वेसियाना (फफूंद) 2–5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर तने के आस–पास की मिट्टी में मिला दें।

पशुपालन

- प्रजनन सम्बन्धी समस्त रोगों के निराकरण हेतु पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि हरा चारा, भूसा, पशु आहार के अतिरिक्त खनिज लवण भी अवश्य खिलायें।
- पशुओं को ठण्ड से बचाव के लिये पशुबाड़ों को चारों ओर तिरपाल से ढकें व अधिक ठण्ड होने की स्थिति में अलाव की व्यवस्था करें एवं पशुबाड़ों में बिछावन को अवश्य डालें।
- पशुओं को केवल हरा चारा न खिलायें, उनको 60:40 के अनुपात में हरा एवं सूखा मिलाकर ही खिलायें।
- पशु के शरीर में वयस्क वाह्य परजीवी के संक्रमण से बचाव हेतु किलनीनाशक दवा का उपयोग पशुचिकित्सक की सलाह से करें।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस यूनिट द्वारा चिकित्सा, बधियाकरण तथा टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान का लाभ पशुपालक अपने दरवाजे पर प्राप्त करने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नं०–1962 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना अन्तर्गत पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा, बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित दर से 85 प्रतिशत छूट पर किया जा सकता है, जिसका लाभ कृषक/पशुपालक अपने जनपदीय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी या निकटस्थ पशुचिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर उठा सकते हैं।
- पशु समस्या निवारण केन्द्र के टोल फ्री नं०–18001805141 पर संपर्क कर पशुओं से संबंधित समस्याओं के समाधान लाभ ले सकते हैं।

मत्स्य पालन

- बदलते मौसम में फफूंद एवं पारासाइटिक संक्रमण से मछली को बचाने हेतु 40–50 किलोग्राम/एकड़ की दर से तालाब में नमक का छिड़काव करें एवं भोजन के साथ भी 5 से 6 ग्राम/किलोग्राम भोजन के हिसाब से माह में 7 से 10 दिनों तक मछलियों को खिलाएँ।
- वर्तमान में मछलियों में वृद्धि दर कम होती है अतः पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के वजन के 1 प्रतिशत तक ही किया जाय।

- तालाब के मिट्टी एवं पानी की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए 15 दिनों के अन्तराल पर पी. एच. मान के अनुसार 15–20 किलोग्राम/एकड़ की दर से चूना का प्रयोग घोल कर करें।
- मछलियों को संक्रमण से बचाव के लिए प्रति एकड़ 500 ग्राम पोटैशियम परमैंगनेट या 500 एम.एल. की दर से वाटर सेनिटाईजर का प्रयोग करें।
- माह में एक बार 400 किलोग्राम गोबर/एकड़ की दर से घोल कर छिड़काव करें।

रेशम पालन

- कृषक/कीटाणनाशक ई-डिस्ट्रिक्ट विभागीय यू.आर.एल. <http://sericulture.eservicesup.in> पर अपना पंजीकरण कराते हुये आवश्यक कीटाण्ड मात्रा आरक्षित करा लें। किसी भी प्रकार की असुविधा/जानकारी के लिये दिये गये नंबर पर सम्पर्क करें 7388305554

वानिकी

- पौधशाला में पौध उगान के दृष्टिगत शीशम, सागौन, खैर, यूकोलिप्टस, ऑवला, हरड़, बहेड़ा, गुलमोहर, कदम, बबूल आदि का बीज एकत्रित किया जाय।
- वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन कर लें तथा अग्रिम मृदा कार्य हेतु कार्यवाही कर ली जाये। इस सम्बन्ध में तकनीकी मापदण्ड/प्रजाति चयन के सम्बन्ध में जानकारी वन विभाग के निकटतम रेंज कार्यालय/ग्रीन चौपाल से प्राप्त की जा सकती है।
- मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने, कृषि वानिकी के सतत् कृषि-वन मॉडल को प्रोत्साहित करने तथा पर्यावरणीय ज्ञान को पुर्नस्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर वन विभाग द्वारा ग्रीन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित ग्रीन चौपाल के बैठकों में अवश्य प्रतिभाग किया जाय।
- कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि के लिये कृषक अपने खेतों में अधिकाधिक पौधरोपण को बढ़ावा दे, जिससे मृदा में घट रहे जीवांश कार्बन की बढ़ोत्तरी होगी तथा कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी।

राज्य आपदा प्रबंधन

- राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत फसल क्षति पर रू. 8500 से 22500 प्रति हे. तक तथा पशु की क्षति पर रू. 400.00 से रू. 37500.00 तक तथा पशुबाड़ा की क्षति पर रू. 3000 तक की राहत वितरित की जाती है। अधिक जानकारी के लिये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंट्रोल रूम 1077 तथा राज्य आपदा कंट्रोल रूम 1070 पर सम्पर्क करें।
- भारत सरकार तथा राज्य सरकार (शीत लहर आदि) द्वारा अधिसूचित आपदाओं के सापेक्ष मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ित परिवारों को रू. 4 लाख की अहैतुक सहायता प्रदान की जाती है।

नोट:- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट upcar.up.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।



(संजय सिंह)
महानिदेशक

प्रतिलिपि: उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेंगे।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,

मोदीपुरम, मेरठ / बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा / सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी / वैज्ञानिक।
47. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।



(विनोद कुमार तिवारी)

प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राफ वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2025-26 की
इक्कीसवीं बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2026 की उपस्थिति

1. डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ
3. डा. विनोद कुमार तिवारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
4. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
5. डा. गौरव वाष्णीय, संयुक्त निदेशक, वन विभाग, लखनऊ।
6. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
7. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राफ रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. डा. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (कीट विज्ञान विभाग), बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
9. डा. एस.एन. पाण्डेय, पूर्व मौसम वैज्ञानिक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
10. डा. पी.के.शुक्ला, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ (ऑनलाइन)।
11. डा. प्रिया रंजन कुमार, सह प्राध्यापक (पशु चिकित्सा स्त्री रोग), बी.एच.यू. वाराणसी (ऑनलाइन)।
12. डा. जे. जार्बेन, सह प्राध्यापक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (ऑनलाइन)।
13. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
14. श्री सुनील कुमार राय, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
16. डा. नेत्रपाल यादव, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान विभाग, लखनऊ।
17. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राफ वेदर वॉच ग्रुप, उपकार, लखनऊ।
18. श्री आदित्य सिंह, सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, लखनऊ।
19. श्री हरिओम, सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट, कृषि विभाग, लखनऊ।
20. डा. सचिन आर्या, कीट वैज्ञानिक, उद्यान विभाग, लखनऊ।
21. श्री राजेश कुमार, चारा विकास अधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
22. श्री प्रतीक कुमार, तकनीकी अधिकारी, शुआट्स, प्रयागराज (ऑनलाइन)।